



ASTHAN

B 417844

लीज डीड (किराया नामा)

यह लीज डीड आज दिनांक 03/02/2014 को श्री गुरुकृपा शिक्षा प्रसार समिति हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0) द्वारा संचालित गुरुकृपा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थान कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0) जरिए अध्यक्ष श्री ज्ञानप्रकाश कंसल आयु 39 साल आ0 श्री शरदचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) (किरायेदार) की ओर से आप मालिक भवन श्री राधेश्याम जैन आयु 50 साल आ0 स्व0 श्री राजमल जी जाति महाजन निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0) के रहने वाले है के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है । इस लीज डीड (किराये नामें) किरायेदार प्रथम पक्ष से व भवन मालिक द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किये जायेंगे ।

विदित हो प्रथम पक्ष एक संस्था है जिसका रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत क्रमांक 03/करौली/2013-2014

2

राजेश्याम जैन

Signature

उपस्थित
कापरेन बून्दी

को दिनांक 10/4/2013 को रजिस्ट्रार संस्थाएँ करौली के यहाँ हो रहा है तथा द्वितीयपक्ष भवन मालिक का एक भवन वाके कोटा लाखेरी मुख्य सडक पर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प के आगे रेलवे स्टेशन रोड कापरेन तहसील के० पाटन जिला बून्दी (राज०) में विस्थित है जिसमें 9 पक्के कमरे , एक गार्ड रूम , पीछे की साईड पश्चिम दिशा में दो टीन शेड जिनकी प्रत्येक की साइज 30 गुणा 40 पुख्ता पक्के बने हुये है , दो शोचालय, एक बाथरूम बना हुआ है तथा शेष खाली मैदान जो कि लगभग 32 गुणा 56 वर्गफिट का है उक्त सम्पूर्ण भूवन की चतुर्थ सीमाएँ निम्न है :-

पूर्व में - कापरेन लाखेरी मैन रोड , पश्चिम में - हजारी लाल की भूमि ,
उत्तर में - हजारी लाल की भूमि , दक्षिण में- प्रभूलाल की भूमि विस्थित है

यह कि उक्त वर्णित भवन द्वितीयपक्ष का स्वअर्जित भवन है जो कि द्वितीय पक्ष ने स्वयं निर्मित किया है जिसका एक मात्र मालिक द्वितीय पक्ष है जिसे उक्त भवन को किसी को भी रहन,बय करने , किराये पर देने या अन्य किसी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है ।

यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण भवन जिस पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण भवन को 15 वर्ष वास्ते (180 महिने वास्ते) रुपये 24,000/- अक्षरे चौबीस हजार रुपये मासिक किराये की दर से किराये पर लिया है । प्रथम पक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य निम्न शर्तें तय हुयी है :-

1- यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भवन प्रथम पक्ष के अधिपत्य में बतौर किरायेदार 180 माह तक रहेगी जिसका उपयोग उपभोग प्रथम पक्ष मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने हेतु कर सकेगा प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर

27/04/2013



उप पंजीयक
कापरेन, बून्दी

को किसी भी अन्य उपयोग उपभोग में नहीं ले सकेगा ।

2- यह कि किरायेदार दिनांक 18/4/2013 से प्रारम्भ होकर 17/4/2028 तक रहेगी अर्थात् उक्त किरायेदारी 17/4/2028 को स्वतः ही समाप्त हो जावेगी ऐसी सूरत में 17/4/2028 को प्रथम पक्ष को उक्त किरायेदारी वाले सम्पूर्ण परिसर द्वितीय पक्ष को खाली करके सम्भलाना होगा ।

3- यह कि किराये की राशि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रत्येक माह कि 25 तारीख से पूर्व अदा कर द्वितीय पक्ष से रसीद प्राप्त कर लेगा बिना रसीद कोई किराया मान्य नहीं होगा ।

4- यह कि उक्त वर्णित किरायेदारी वाले परिसर में एक ट्यूब वेल तथा एक सिंगल फेस का विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है । जिसका उपयोग उपभोग प्रथम पक्ष किरायेदारी अवधि तक कर सकेगा बिजली का आने वाला बिल का भुगतान प्रथम पक्ष करेगा यदि प्रथम पक्ष को 3 फेस कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन या नल कनेक्शन या अन्य कोई सुविधायें की आवश्यकता पडती है तो ऐसी सूरत में प्रथम पक्ष उन्हें अपने नाम से ले सकेगा ऐसी सुविधाओं के उपयोग उपभोग के फलस्वरूप आने वाली बिल की अदायगी प्रथम पक्ष स्वयं करेगा जहाँ भी उक्त सुविधाओं को प्राप्त करने में द्वितीय पक्ष की सहमति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी वहाँ पर द्वितीय पक्ष बिना किसी शर्त के अपनी सहमति के हस्ताक्षर करेगा ।

5- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर में किसीप्रकार की तोडफोड या रद्दोबदल बिना द्वितीय पक्ष की सहमति के नहीं कर सकेगा ।

6- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले भवन को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । या अन्य किसी व्यक्ति को कब्जा नहीं सम्भलायेगा ।

राजेश्वरजी



Guray



4
उप पक्षीयक
कारन हून्सी

Scanned with CamScanner

को किसी भी अन्य उपयोग उपभोग में नहीं ले सकेगा ।

2- यह कि किरायेदार दिनांक 18/4/2013 से प्रारम्भ होकर 17/4/2028 तक रहेगी अर्थात् उक्त किरायेदारी 17/4/2028 को स्वतः ही समाप्त हो जावेगी ऐसी सूरत में 17/4/2028 को प्रथम पक्ष को उक्त किरायेदारी वाले सम्पूर्ण परिसर द्वितीय पक्ष को खाली करके सम्भलाना होगा ।

3- यह कि किराये की राशि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रत्येक माह कि 25 तारीख से पूर्व अदा कर द्वितीय पक्ष से रसीद प्राप्त कर लेगा बिना रसीद कोई किराया मान्य नहीं होगा ।

4- यह कि उक्त वर्णित किरायेदारी वाले परिसर में एक ट्यूब वेल तथा एक सिंगल फेस का विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है । जिसका उपयोग उपभोग प्रथम पक्ष किरायेदारी अवधि तक कर सकेगा बिजली का आने वाला बिल का भुगतान प्रथम पक्ष करेगा यदि प्रथम पक्ष को 3 फेस कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन या नल कनेक्शन या अन्य कोई सुविधायें की आवश्यकता पडती है तो ऐसी सूरत में प्रथम पक्ष उन्हें अपने नाम से ले सकेगा ऐसी सुविधाओं के उपयोग उपभोग के फलस्वरूप आने वाली बिल की अदायगी प्रथम पक्ष स्वयं करेगा जहाँ भी उक्त सुविधाओं को प्राप्त करने में द्वितीय पक्ष की सहमति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी वहाँ पर द्वितीय पक्ष बिना किसी शर्त के अपनी सहमति के हस्ताक्षर करेगा ।

5- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर में किसीप्रकार की तोडफोड या रद्दोबदल बिना द्वितीय पक्ष की सहमति के नहीं कर सकेगा ।

6- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले भवन को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । या अन्य किसी व्यक्ति को कब्जा नहीं सम्भलायेगा ।

राजेश्वर जी



राजेश्वर जी



4
उप पक्षिक
कार्यन रूसी

यह दस्तावेज स्थापन सं० 25089/1-
 टाइप/लिखा हुआ है। पीस रजिस्ट्री 6/100
 नकल उजाला डकट सरकारी पीस 3/100
 मुल रुपये 15980 पीस 03/12/14
 सं० 4/12 की
 को आगे के लिए है।
 जय पंजीकरण, कोटन

स्थापन इटली की अतिरिक्त देय राशि सं० 5480
 रसीद सं० 6/12-बिनांक 03/12/14 को
 प्राप्त की गई अतः अब यह दस्तावेज कुल
 89000 के स्थापन पर निष्पादित माना
 जावे।
 जय पंजीकरण, कोटन



आगत बिना सं० 03-रा-02-सन् 2014
 को पुनरांक सं० 1-जिल्ला सं० 2-पुल
 सं० 293-कम सं० 12/1-पर पंजीबद्ध किया
 गया। तथा अतिरिक्त पुलक सं० 1-
 जिल्ला सं० 2-पुल सं० 548-451 दस्ता
 किया गया।
 जय पंजीकरण, कोटन

12/1/61 3/10 12/1/61 3/10
 12/1/61 3/10 12/1/61 3/10
 12/1/61 3/10 12/1/61 3/10
 12/1/61 3/10 12/1/61 3/10

उप पंजीयक, कापूर

Счасть



नियामन कर्ता :-

श्री उमरुपा देवी साविकी निवासी सुरापुरा गाँव तहसील सावरगाँव जिला अलीगढ़

आत्मज श्री ३९ साल आयु की शारदा चंद शास्त्री

जाति निवासी ने मेरे

समक्ष नियामन स्वीकार किया है रुपये _____

बेधान / खयाल उप फंजीयक के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार

किया ।

40

हस्ताक्षर

उप पंजीयक, काप्रेन

Сина

7- यह कि उक्त किरायेदारी वाले परिसर पर भवन कर, गृह कर या अन्य भवन संबंधि टेक्स की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी । संस्था संबंधि किसी प्रकार की सरकारी या गैरसरकारी टेक्स की अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी ।

8- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर में कोई भी विधि द्वारा वर्जित कार्यनहीं कर सकेगा यदि कोई विधि द्वारा वर्जित कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी ।

9- यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से दिनांक 18/4/2013 को अग्रिम किराये पेटे राशि बतौर अमानत छः माह का कुल राशि 1,44,000/- अक्षरे एक लाख चवालीस हजार रुपये प्राप्त कर लिये है जो द्वितीय पक्ष के पास बतौर अमानत हमेशा रहेगी जब भी प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर को खाली करे द्वितीय पक्ष को सम्भलायेगा प्रथम पक्ष को उक्त अमानत राशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

10- यह कि प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर को स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा उसमें किसी प्रकार की क्षति पहुँचने पर उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी ।

11- यह कि प्रथम पक्ष ने जिस हालत में उक्त भवन सम्भाला है खाली करते वक्त प्रथम पक्ष उसी हालत में द्वितीय पक्ष को भवन सम्भलावेगा । प्रत्येक वर्ष प्रथम पक्ष को उक्त सम्पूर्ण भवन की रंगाई - पुताई करानी होगी ।

राजे शर्मा



Curry



5
उक्त पक्षों के
काग्रन हुन्दी

12- यह कि उक्त किरायेदारी वाले परिसर का किराया साढे सात वर्ष तक 24,000/- अक्षरे चौबीस हजार रुपये मासिक रहेगा तथा साढे सात वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष प्रथम पक्ष मूल किराये की राशि में 5 प्रतिशत सालाना की किराये में बढ़ोतरी कर द्वितीय पक्ष को किराया अदा करेगा अर्थात साढे सात वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष सालाना किराये में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ।

13- यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को किरायेदारी वाले उक्त वर्णित सम्पूर्ण परिसर का भौतिक रूप से कब्जा मौके पर जाकर सौंप दिया है व प्रथम पक्ष उक्त किरायेदारी वाले परिसर पर बतौर किरायादार काबिज होगा ।

14- यह कि किराया नामा दिनांक 18/4/2013 को निष्पादित किया जाकर नौटेशी करवाकर द्वितीय पक्षकार राधेश्याम जैन ने प्रथम पक्षकार को सम्मला दिया था लेकिन उस वक्त उक्त किराये नामें का पंजीयन नहीं हुआ इस वजह से आज पंजीयन करवाया जा रहा है ।

अतः यह लीज डीड (किराया नामा) आज दिनांक 03/02/2014 को हम प्रथम पक्ष अपना भला बुरा सोच समझकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी नशे पत्ते के द्वितीय पक्ष के पक्ष में एक 5000/1 व 4 सादा कागज के नोन ज्युडि0 स्टाम्प व 4 सादा पेपर पर रूबरू गवाहान के समक्ष पढ लिख सोच समझकर निष्पादित कर दिया जो सनद रहें, वक्त जरूरत काम आवें ।

हस्ताक्षर गवाहान -

Anil Kumar Jain

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

Prakash

1- अनिल कुमार जैन आयु 25 साल आ0 राधेश्याम

जैन जाति महाजन निवासी कापरेन

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

Radheshyam Jain

दिलीप कुमार मीना आयु 22 साल आ0

कहैयाला जाति मीना निवासी कापरेन तहसील के0पाटन

Dilip Kumar Mina

UP Panchayat
कापरेन

